स्कूल शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा- 50 दिनों में करें निराकरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : पुरानी पेंशन और समस्त लाभ की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन एवं समस्त देय पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता गीता चौधरी शिक्षक एलबी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं। उनकी नियुक्ति 27 जुलाई 1998 को शिक्षाकर्मी वर्ग एक में जिला पंचायत के द्वारा हुई थी। इसके बाद 28 सितंबर.2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर ई (एलबी) संवर्ग में संविलियन किया गया था। राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर शिक्षक एलबी (शिक्षाकर्मियों) को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना न कर एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत पुरानी पेंशन

28 सितंबर 2018 में संविलियन की गणना में बरती गई लापरवाही का नतीजा

● फाइल फोटो

योजना का लाभ से वंचित करते हुए संविलियन तिथि 28 सितंबर 2018 से गणना कर नई पेंशन योजना का लाभ दिए जाने विभाग ने आदेश जारी कर दिया। याचिका के अनुसार उन्होंने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नियुक्ति तिथि 27 जुलाई 1998 से पुरानी पेंशन एवं समस्त लाभ के लिए सेवा अवधि की गणना की जाए। याचिका के अनुसार 1998 यानी 20 वर्ष से गणना नहीं किए जाने से पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लिहाजा पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। याचिका के अनुसार सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य शासन द्वारा अभ्यावेदन प्रर किसी तरह की कार्रवाई न करने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता नसीमुदीन अंसारी एवं रियाजुदीन शेख के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिक दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुते अधिवक्ता अंसारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति 27 जुलाई 1998 की है। इसके बाद कोई नई नियुक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन एवं समस्त देय पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है।

SCAN AnyScanner